जगह मात्र 17 है। ऐसी स्थिति में सभी को शीघ्र न्याय देना एक बड़ी चुनौती बन गई है। न्याय के लिए अदालत की शरण में आया गरीब सालों तक जेल में सड़ता रहता है और उसके परिजन न्याय की आस में ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए जजों की नियुक्ति करने के लिए वर्तमान में चल रहे कोलेजियम सिस्टम को समाप्त कर पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 312 के प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय स्टैंडिंग न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने भी अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा के गठन की सिफारिश की है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ भी प्राप्त हो सकेगा एवं न्यायिक सेवा में आरक्षित वर्गों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा।

अतः मेरा निवेदन है कि देश में जजों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, न्यायपालिका में हर स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे देश को न्यायिक शासन का एक उपयुक्त ढांचा प्रदान किया जा सके और देश के किसी मुख्य न्यायाधीश को इसके लिए प्रधान मंत्री के समक्ष रोना न पड़े।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कनक लता सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री सालिम अंसारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

कुछ माननीय सदस्यः महोदय, हम भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

Need to rationalise parity between armed forces and bureaucracy

SHRI A.U. SINGH DEO (Odisha): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I have 2-3 points. I will mention them very quickly. The Government has been kind enough to give 'One Rank, One Pension' to the Armed Forces. But, they want respect for their

[Shri A.U. Singh Deo]

years of service, struggle and sacrifice for the country. It is not just enough to increase the emoluments. सर, मैं एक बार डायरेक्टर के ऑफिस में गया। जब मैं ऑफिस में घुस रहा था, तो मैंने देखा कि जहाँ peon बैठते हैं, वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक कुर्सी लगाकर उनको बिठा दिया गया था। मेरी उनसे जान-पहचान थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि साहब, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि वे वहाँ घंटे भर से बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है।

सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि the seniority of a Brigadier, after 26-27 years of service, is equivalent to the service of a Director, who has 12 years' service और उनको बाहर बिठाया हुआ था। Sir, a Major General after 33-34 years of service is equated to a Joint Secretary with 16-18 years of service. बड़े-बड़े बोर्ड लगते हैं - "Join the Army, Join the Navy and Join the Air Force".

नौजवान उनको देखते हैं कि फिर वे net पर उसके बारे में देखते हैं। They are all net-savvy people. वे कहते हैं कि अगर वे आईएएस या आईएफएस बन जाएँ तो उनकी 12 साल की सर्विस आर्मी की 27 साल की सर्विस के equivalent होती है, इसलिए वे कहते हैं, why should we join the Army? We will join the Civil Services. Sir, that is not a correct thing. This has to be looked into.

Sir, at the time of Independence, the Commander-in-Chief was number two in the Order of Precedence in India. After the 1947-48 War, service Chiefs were made junior to the Judges of the Supreme Court. After the 1962 War, they were made junior to the Cabinet Secretary. Then, after the 1965 War, they were made junior to the Attorney-General. And after the 1971 War, they were made junior to the Comptroller and Auditor General. उनका यह वॉर चलता गया। हम लोग अच्छा करते गए, वे डिमोट होते चले गए। इसमें के.एस. सुब्रमण्यम की एक बड़ी कमेटी बैठी थी। He had recommended an Integrated Headquarters which will seamlessly integrate the Ministry of Defence with the three Service Headquarters. This is yet to be implemented. दुनिया के यूएस, यूके, फ्रांस, जहां पर भी आप देखेंगे, the MoD is manned by the uniform officers whereas in India it is manned by the Civil Servants. Sir, इसे हमें ठीक करने की जरूरत है। The Armed Forces Headquaters are deemed as "associated headquarters" under the purview of the Defence Ministry.

इसे हमें ठीक करने की जरूरत है। सर, एक जवान को 15 साल की सर्विस के बाद पेंशन मिलती है। अगर उसने 14 साल, 9 महीने सर्विस की तो उसे पेंशन नहीं मिलती है। हमें दो साल बाद, तीन साल बाद पेंशन मिलती है, एमएलएज़ को मिलती है, एमपीज़ को मिलती है, इसको reassert करने की ज़रूरत है कि जवानों को भी दो साल, तीन साल, पांच साल बाद पेंशन मिलनी चाहिए। मेरा तीसरा प्वाइंट है कि एक सिपाही, जो 20-19 साल की उम्र में सर्विस करता है और 15 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाता है Sir, such ex-servicemen be mandatorily absorbed in the State and Central Police Forces. ...*(Interruptions)*...

Mr. Deputy Chairman, Sir, I request you to give directions to the Government to look into the issue of the Armed Forces. *...(Interruptions)...*

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री हरिवंश (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

†[**جناب غلام رسول بلیاوی** (بہار): مہودے، میں بھی خود کو اس موضوع کے ساتھ سمبد کرتا ہوں۔]

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

डा. सी.पी. ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

†Transliteration in Urdu Script.

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): सर, यह जवानों के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए मैं भी इससे स्वयं को संबद्ध करता हूँ। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूरे देश की ...**(व्यवधान)**...

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Sir, I also associate with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, while associating myself with the issue, I want to say that particularly when it comes to changing the warrant of precedence, the senior officers like Major Generals, Lt. Generals, Brigadiers, we know that they have been pointing this out, and now it is very strongly being taken up by the senior officers in the Armed Services. This subject has been discussed in the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence. We know that this has been conveyed to the Government, and also to the Defence Minister. This issue needs to be resolved. It is not fair to delay it. Sir, connected with this, there is another matter. Last year the warrant of precedence has been arbitrarily changed. Now, hon. Members of Parliament.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't go to the other subject. ...*(Interruptions)*... That is correct. This is Zero Hour.

SHRI ANAND SHARMA: The warrant of precedence has been arbitrarily changed. All Members of Parliament have been brought down, even when it comes to the Private Secretary to the Prime Minister and others. Many of us have the experience that the Executive has done it arbitrarily. ...*(Interruptions)*...

श्री तरुण विजय: सर, बात सैनिकों की हो रही है। जब सैनिकों की बात होती है तो ...**(व्यवधान)**...

SHRI SITARAM YECHRURY (West Bengal): This is a very serious issue that has been raised. I want to ask the Government, through you, to come and clarify whether they would look into this issue, and if there are any mistakes, they should rectify. At least, the Government should assure the House on this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to pose a question to this House. MPs are getting pension when they complete two or three years of service. The Jawan is not getting the pension even if he completes 14 years and 364 days of service. Is it fair? This issue, I was taking up for a long time. I am posing that question to you.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, don't pose this question to the House. Please direct the Government to look into the issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the Minister will convey our feelings to the Defence Minister.

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Sir, you direct the Government to look into this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You convey our feelings to the Defence Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): I will do that.

Steep rise in prices of sugar, pulses and petroleum products

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, यह सरकार इस वायदे के साथ आयी थी कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज चीनी 35-30 रुपये किलो से 50 रुपए किलो तक उपभोक्ता को मिल रही है। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि जो अपना खून-पसीना बहाकर पैदा करता है, वह किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर पचास रुपए किलो चीनी बिक रही है तो यह सरकार बताए कि बिचौलिया कौन है जो इस सरकार की छत्रछाया में आम आदमी को लूट रहा है और किसान को मार रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि आज दाल 170 रुपए, 180 रुपए किलो तक पहुंच गयी है और कश्मीर में तो 235 रुपए किलो बिक रही है? मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि जब केन्द्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो दाल 235 रुपये किलो कैसे बिक रही है। मैं आपसे यह भी साफ कहना चाहता हूं कि अगर यह बढ़ा हुआ लाभ किसालों को मिल जाता, तो शायद जो लोग दाल खरीद रहे हैं, उन्हें यह संतोष होता कि वह धरती के भगवान को यह पैसा दे रहे हैं, लेकिन मेरा निश्चित आरोप है कि यह पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है, बल्कि सरकार में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में पलने वाले सटोरियों, कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरी करने वाले लोगों को यह पैसा मिल रहा है, इसलिए मैं इस पर सवाल उठाना चाहता हूं।

मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि अभी परसों रात में डीजल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा। इस सरकार का अच्छे दिन का वायदा था, लेकिन इनको जब इनका रेट घटाना होता है, तो पैसे में घटाते हैं और जब बढ़ाना होता है, तो रुपये में बढ़ाते हैं। आज हालत यह है कि दिल्ली में 62.19 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है और 50.95 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह 45 डालर प्रति बैरल है, यह 40.45 डालर प्रति बैरल के बीच में है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका रेट 32 डालर प्रति बैरल तक गया। मैं एक बात पर बल देना चाहता हूं कि शायद एयरकंडिशंड कमरों में बैठकर सरकार की सत्ता के नशे में ये भूल रहे हैं कि डीजल वह चीज़ है कि जब सूखा पड़ा हुआ है, तो किसान बोरिंग सैट से, पम्पिंग सैट से पानी निकाल कर जानवरों को पिला रहा है और खुद पी रहा है और वहां पर डीजल की जरूरत पड़ती है। जब देश में सूखा पड़ा हुआ है, तो डीजल का दाम तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ा कर सीधे-सीधे पीड़ित पर आपने प्रहार किया है। टैंकर से पानी जा रहा है,